आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
6/24	पत्रावली पेश की गई प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 7 व 8 अप अप्रार्थी सं० 7 व 8 ने जवाब न पेश नहीं किया है जवाब न पेश बन्द किया जाता है बहस पर हेतु दिनांक 11/11/2024 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
11/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक पक्षों आज कन्डोलेंस वि[illegible] कार्यवाही नहीं की [illegible] गायिक अन्य राज कार्य में [illegible] साहब। पूर्वानुसार दिनांक 12/11/24 को पेश [illegible] पत्रावली पू[illegible]	
12/11/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित बहस प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई बहस, वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेज अवलोकन करने पर इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 16/6/2023 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज न. से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:39:37 IST
Reason: SelfAttested